भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1373
गुरूवार, 11 दिसंबर, 2025 / 20 अग्रहायण, 1947 (शक)

ईएसआईसी चिकित्सा कवरेज की अधिकतम सीमा

1373 श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ईएसआईसी चिकित्सा कवरेज के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकतम सीमा को बढ़ाकर ₹21,000 प्रति माह कर दिया है;

(ख) क्या उपरोक्त संशोधन 2017 में किया गया था;

(ग) क्या श्रमिकों और श्रमिक संगठनों ने ईएसआईसी के अंतर्गत चिकित्सा लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकतम सीमा को बढ़ाकर ₹40,000 प्रति माह करने की मांग की है; और

(घ) यदि हाँ, तो अधिकतम सीमा को संशोधित करके ₹40,000 प्रति माह करने में सरकार के सामने क्या बाधाएँ हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआई) अधिनियम, 1948 उन सभी कारखानों और प्रतिष्ठानों पर लागू होता है जिनमें दस या अधिक कर्मचारी हैं और जिनका वेतन 21,000 रुपए (निःशक्त व्यक्तियों के लिए 25,000 रुपए) तक है। वेतन सीमा में संशोधन समय-समय पर आवधिक रूप से किया जाता है। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948, को सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (सीओएसएस, 2020) में समाहित कर लिया गया है और सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 दिनांक 21 नवंबर 2025 से प्रभावी हो गई है।

श्रम और रोज़गार मंत्रालय को विभिन्न संगठनों से समय-समय पर वेतन सीमा बढ़ाने के लिए अनुरोध प्राप्त होते रहे हैं। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, के तहत कवरेज के लिए वेतन सीमा में अंतिम संशोधन दिनांक 01.01.2017 किया गया था, जिसमें वेतन सीमा को 15,000/- रु. प्रतिमाह से बढ़ाकर ₹21,000/- रु. प्रतिमाह कर दिया गया था।

******